

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

सरवन बनाम उभाशंकर (वर्ग 1)

क्रिसम मुकदमा श्री. पत्रा 111-120 no. 52 सन 2021

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

25-3-21

वाद / प्रार्थनापत्र वाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीय को नॉटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 30-4-21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल

30/4 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 1/5/21 को पेश हो।

18/5 समप पक्ष उपरिपत्र पीजसीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29/6

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 2/7/21 को पेश हो।

10/12

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 के मध्य मध्य पंचायत मेजा में पेश हुई, अधीनस्थ के लम्बन वादवासी के लक्ष्य प्राप्त हो तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले को पेश किया गया। प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय सुपड से लिखा जाकर शांति किया गया। पत्रावली फिलहाल सुमा होकर नम्बर से कम है।

डॉ. पूजा लक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

दिवों के संग अभिलेख

मुकदमा संख्या :- 52/21 प्र. पत्र

1- श्री सरवन 310 श्री जानु कुर्ज निवासी - प्रतापनगर मेजा नं 0 मो 5ल -- प्रार्थी

बनाम
1- श्री उमाशंकर जी० देवीलाल चौधरी निवासी - वार्ड नं. 5 वाटरवर्स वेपिदे मौकमपुर तं मो 5ल (विक्री) विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 8-12-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम..... प्रतापनगर..... पटवार हल्का..... मेजा..... तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं..... प्रसाक्ति पिहवेसूर डोकि कुल किता 11..... रकबा..... 5.2861..... हेक्टेयर..... स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक..... 25.3.21..... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा - फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 सेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... प्रतापनगर पटवार हल्का..... मेजा..... तहसील मांडल में स्थित आराजी नं..... प्रसाक्ति पिहवेसूर डोकि कुल किता 11..... रकबा..... 5.2861..... हेक्टेयर.....

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... मेजा..... को 2500/-..... रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

alc

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा